122

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 2695-तीन/2014 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक 4-8-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 1271/2012-13 अपील

रामार्चा प्रसाद द्विवेदी पुत्र चिंतामणि
ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरुद्ध

भानुजाप्रसाद पुत्र चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा --अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सूर्यनाथ पाण्डे)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मानेन्द्र तिवारी)

आ दे श

(आज दिनांक 11 -8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1271/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-8-14 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ **प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार हुजूर को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बताया कि उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 452/1 रकबा 0.340 हैक्टर का पूर्व में सीमांकन हुआ था एंव पत्थर गड़वा दी गई थीं किंतु आवेदक ने पत्थर हटाकर अतिकमण कर लिया है इसलिये अतिकमण हटवाया जावे। तहसीलदार हुजूर न प्रकरण कमांक 178 अ 70/12-13 पॅजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27-5-13 पारित करके आवेदक की भूमि 0.340 हैक्टर के अंश भाग 0.11 ए. पर तारवाड़ी लगाकर अनाधिकृत कब्जा**

पाने से बेदखली के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण कमांक 184 अ-27/ 12-13 में पारित आदेश दिनांक 26-7-13 से तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण में विधिवत् सीमांकन करने एंव सुनवाई के वाद कार्यवाही के लिये वापिस किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 1271/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-8-14 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुये तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-5-13 को यथावत् रखा । इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-5-13 , अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण कमांक 184 अ-27/ 12-13 में पारित आदेश दिनांक 26-7-13 तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1271/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-8-14 के परीक्षण पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने अनावेदक की निजी भूमि पर अतिक्रमण करने वावत् आवेदन आने पर प्रकरण पॅजीबद्व कर जॉच कराई है एंव पक्षकारों की सुनवाई उपरांत पाया गया है कि आवेदक की भूमि 0.340 हैक्टर के अंश भाग 0.11 ए. पर तारवाड़ी लगाकर कब्जा किया गया है तब उन्होंने बेदखली के आदेश दिये हैं। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष दिनांक 4-6-2013 को अपील प्रस्तुत हुई एंव अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 26-7-13 से तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण में सीमांकन करने एंव सुनवाई के वाद कार्यवाही के लिये प्रकरण वापिस किया। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन-स्वरूप का आदेश है। मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 42 सन् 2011 द्वारा दिनांक

30-12-2011 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 में प्रतिस्थापित सॅशोधन अनुसार उप खंड अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर को मामला प्रत्यावर्तन के अधिकार नहीं है इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी हुजूर द्वारा प्रकरण कमांक 184 अ-27/ 12-13 में पारित आदेश दिनांक 26-7-13 नियम विरूद्ध होने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने निरस्त कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-5-13 को यथावत रखने में त्रृटि नहीं की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1271/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-8-14 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर